न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या :– 214/2021 (149/2017)

रिछपाल उर्फ दारासिंह पुत्र नारायणराम, निवासी हिराणी, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

––अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, परबतसर, जिला डीडवाना कुचामन।

––प्रत्यर्थी

––:: उपस्थिति ::––

01.	अपीलार्थी की ओर से	–	कोई उपस्थित नहीं।
02.	प्रत्यर्थी की ओर से	–	श्री मनीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक।

न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन के पीठासीन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़, आर.जे.एस. द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 295/2010, राजस्थान राज्य बनाम गौरव व अन्य, अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 16–11–2017 के विरूद्ध आपराधिक नियमित अपील अन्तर्गत धारा 374 दण्ड प्रकिया संहिता।

––:: आदेश ::––

दिनांक :–18–07–2026

1. यह अपील अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल उर्फ दारासिंह के द्वारा प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां (आगे संक्षिप्तता हेतु 'विचारण न्यायालय') के निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 16–11–2017 (आगे संक्षिप्तता हेतु 'आलोच्य निर्णय') के विरूद्ध पेश की गई है। उपरोक्त आलोच्य निर्णय के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया गया हैः–

कस	दोषसिद्ध अपराध धारा	दण्डादेश	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1.	धारा 323/34 भा.	एक वर्ष का साधारण	–	–

	द.स.	कारावास		
2.	धारा 341/34 भा. द.स.	एक माह का साधारण कारावास	–	–
3.	धारा 325/34 भा. द.स.	03 वर्ष का साधारण कारावास	2,000/–	एक माह का साधारण कारावास

2. विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धी आदेश एवं दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह आपराधिक अपील पेश की है।

3. उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क रहे है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय, विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य से आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने पर भी अपीलार्थी/अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।

5. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि बहस के स्तर पर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी न तो स्वयं उपस्थित न ही उसकी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। चूंकि प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु नियत था। इसलिए न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रतिवेदन, विचारण न्यायालय के निर्णय, साक्ष्य एवं अभिलेख के अवलोकन के आधार प्रश्नगत अपील का निस्तारण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का के निर्णय सम्मानित न्यायिक दृष्टान्त :– **Bani Singh Vs Sate of U.p** का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर प्रश्नगत अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात् प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये दण्डादेश पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधिनुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज

की जावे।

7. इस न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं संबंधित पत्रावली में संलग्न किये गये समस्त सुसंगत अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अनुसार दिनांक 1–9–2010 को परिवादी मुकेश ने थानाधिकारी, पुलिस थाना, कुचामन के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 1–9–2010 को रात्रि करीब 08:00 बजे वह डीडवाना रोड़ कुचामन सिटी में स्थित वेद फाईनेन्स कार्यालय को बन्द करके निकल रहा था। उसके पास बैग था, जिसमें 1,00,000/–रूपये व फाईनेन्स की रसीदें थी। तभी अचानक गौरव उसके साथ दो अन्य व्यक्ति आए ओर उससे बैग छीनने लगे। गौरव ने उसकी नाक पर मारी, जिससे वह गिर गया। उक्त तीनों उसका बैग छीनकर कर मारपीट करते हुए मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गए। हो–हल्ला सुनकर भवानीसिंह मौके पर आ गया।

9. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 208/2010 संस्थित की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गौरव व रिछपाल के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं में पृथक से आरोप विरचित करते हुए सुनाए व समझाए गए, जिस पर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

10. उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से कुल **08** गवाह परीक्षित करवाए और कुल **06** दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष होना और उसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित नही किए जाने के अभिवचन प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य सफाई में बचाव पक्ष की ओर से किसी

गवाह को प्रस्तुत कर परीक्षित नही करवाया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ::–

> **क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय दिनांक 16.11.2017 में अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल उर्फ दारासिंह को दोषसिद्ध करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है?**

12. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाह **पी.ड.–1 श्री निवास** है, जो बतौर चिकित्सीय साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसने आहत मुकेश के शरीर पर आई चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चोट संख्या–1 नाक के उपर सुजन साईज तीन गुणा 2 सेमी। चोट संख्या–2 दाई तर्जनी अंगुली पर खरोच, साईज 1.5 गुणा 1.5 गुणा सेमी थी। चोट संख्या–1 बाद एक्स–रे रिपोर्ट गंभीर प्रकृति एवं चोट संख्या–2 साधारण प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने किसी भी प्रकार की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

13. गवाह पी0ड0–2 श्रवण सिंह एवं गवाह पी0ड0–4 ओमप्रकाश ने फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन किए है।

14. इसके अतिरिक्त घटना का चक्षुदर्शी गवाह पी0ड0–3 भवानी सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया कि दिनांक 1–9–2010 को सायः 08:00 बजे वह अपने भाई मुकेश के साथ वैद फाईनेन्स के कार्यालय में था। उस दिन मोटरसाईकिल पर गौरव व उसके साथ दो आदमी थे, जो रिछपाल व एक अन्य था। उक्त व्यक्ति उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए उसका बैग छीनकर ले गए थे। उक्त गवाह ने दौराने जिरह मोटरसाईकिल

के नम्बर के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है।

15. इसके साथ घटना का अहम गवाह परिवादी/आहत मुकेश पी0ड0–5 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 1–9–2010 को सायः 08:00 बजे वह कार्यालय वैद फाईनेन्स को बन्द करके बाहर निकला तब गौरव, रिछपाल एवं एक अन्य व्यक्ति ने उसे रोककर, उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कलेक्शन की राशि का बैग छीनकर ले गए। उक्त मारपीट में उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई थी।

16. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गोपाल लाल पी0ड0–7 ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसन दौराने अनुसंधान फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 मुर्तिब कर गवाहान विजेन्द्र, भवानी सिंह, ओमप्रकाश, सुगनाराम, दारासिंह, मुकेश के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए, आहत मुकेश के आई चोटों का मेडिकल परीक्षण करवा कर चिकित्सीय प्रतिवेदन एवं एक्स–रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया था। उसने अपने संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण गौरव व रिछपाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। इस गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने अपने अनुसंधान में आहत/परिवादी मुकेश द्वारा प्रथम सूचना में वर्णित तथ्य अभियुक्तगण द्वारा फाइनेन्स की रसीदें व रूपयों का बैग का छीनकर ले जाने के तथ्यों को प्रमाणित होना नहीं पाया था।

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह आहत पी.ड. 05 मुकेश सिंह ने अपीलार्थी/ रिछपाल व गौरव शर्मा व एक अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट करने, जिससे उसके नाक पर फैक्चर हो जाने तथा शरीर पर जगह–जगह चोटे आने की साक्ष्य दी है। गवाह से किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, जिसके आधार पर गवाह के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। आहत साक्षी के संबंध में स्टेट आफ एमपी बनाम मानसिंह(2003) 10एसएस सी

4014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> " The evidence of injured witnesses have greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly. Minor discrepancies do not corrode the credibility of otherwise acceptable evidence." इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **SC 115/19 STATE V JASWANT FIR 1077/14 8/19 Jarnail Singh V State of Punjab, (2009) 9 SCC 719 में भी आहत साक्षी की साक्ष्य को महत्वपूर्ण माना गया है। न्यायिक दृष्टांत** State of Uttar Pradesh V Naresh, (2011) 4 SCC 324 में अभिनिर्धारित किया है कि ''The evidence of an injured witness must be given due weightage being a stamped witness, thus, his presence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present during the occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. The witness would not like or want to let his actual assailant go unpunished merely to implicate a third person falsely for the commission of the offence. Thus, the evidence of the injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein." इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धात अनुसार भी प्रकरण के आहत की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई ठोस आधार नहीं है।

18. इस क्रम में प्रकरण के चिकित्सकीय साक्षी पी.ड. 01 डॉ वी.के. गुप्ता ने भी आहत के नाक पर कारित चोट बाद एक्सरे गंभीर प्रकृति की होने का कथन किया तथा तर्जनी अंगुली पर आई चोट साधारण प्रकृति की बतायी है। जहां तक आहत के नाक पर कारित चोटों के संबंध में रेडियोलोजिस्ट के परीक्षित नहीं होने का अपील में वर्णित तर्क का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय

के विनम्र मत के अनुसार बचाव पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय में इस संबंध में चिकित्सकीय साक्षी व प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 7 गोपाललाल से सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये है। इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 के तहत चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य विशेषज्ञ साक्ष्य की श्रेणी में आती है। गवाह पी.ड. 01 डॉ वी.के. गुप्ता ने स्वयं की देख–रेख व निर्देशन में आहत का एक्सरा होना व एक्सरे के आधार पर आहत के चोट संख्या 01 जो नाक पर कारित थी, को गंभीर प्रकृति का बताया है। अतः प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट के परीक्षित नहीं होने पर प्रकरण की अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना साबित नही है। जहां तक आहत के नाक पर कारित चोट अभियुक्त गौरव द्वारा कारित करने के अपील में वर्णित तर्क का प्रश्न है तो प्रकरण के आहत ने मुकेश ने अभियुक्त गौरव के साथ रिछपाल का होना और उनके द्वारा मारपीट से उसका नाक फैक्चर होने की स्पष्ट साक्ष्य दी है, और इसी आशय की साक्ष्य दी है। इस प्रकार आहत की तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त गौरव शर्मा के अतिरिक्त अपीलार्थी अभियुक्त रिछपाल का घटना में संलिप्त होना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। इसी क्रम में प्रकरण के गवाह भवानी सिंह पी0ड0 03 व ओमप्रकाश पी0ड0 4 ने अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल के द्वारा आहत मुकेश के साथ मारपीट करने के कथन किये है। गवाह पी0ड0 03 भवानी सिंह घटना के समय आस–पास के दुकानदारों का मौजूद होना कहता है। इस संदर्भ में पी0ड0 04 ओमप्रकाश घटनास्थल के पास ही स्वयं की दुकान होकर मारपीट की घटना को स्वयं के द्वारा देखना बताता है। यद्यपि यह गवाह प्रतिपरीक्षण में एक स्थान पर स्वयं के द्वारा मारपीट होते हुए देखने से इंकार करता है, परंतु आहत के आई चोटें देखने की साक्ष्य देता है। गवाह के समग्र साक्ष्य के अवलोकन से उसका घटनास्थल पर मौजूद होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गवाह पी0ड0 04 ओमप्रकाश व पी0ड0 02 श्रवण सिंह की साक्ष्य से फर्द नक्शा मौका, हालात मौका प्रदर्श 4 से साबित है, जिसके आधार पर वैध फाईन्सेस के आफिस के बाहर अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य के साथ मिलकर घटना कारित करना प्रमाणित पाया जाता है। इसी क्रम में प्रकरण की लिखित रिपोर्ट घटना के

तुरंत पश्चात् दिनांक 01.09.2010 को 8.30 पीएम पर संबंधित पुलिस थाने में प्रार्थी मुकेश द्वारा दर्ज करवाई गई है। अतः अभियुक्त झूठा संलिप्त करने के आशय से उक्त लिखित रिपोर्ट पेश करना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी पी0ड0 07 गोपाल लाल ने बाद संपूर्ण अन्वेषण के अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल व गौरव शर्मा के विरूद्ध धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दंड संहिता में अपराध प्रमाणित पाया जाना कथन किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलौच्य निर्णय पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांक 16.11.2017 पुष्ट किये जाने योग्य है।

::–आदेशः:–

19. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल उर्फ दारासिंह पुत्र नारायणराम, निवासी हिराणी, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक **अपील अस्वीकार** की जाकर **विद्वान् विचारण न्यायालयः** न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 295/2010, सरकार बनाम गौरव में पारित दोषसिद्धी **दिनांक 16.11.2017** की **पुष्टि** की जाती है।

–:दंडादेशः–

20. अपीलार्थी/अभियुक्त रिछपाल उर्फ दारासिंह पुत्र नारायणराम, निवासी हिराणी पुलिस थाना कुचामनसिटी को धारा 341, 323 व 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोपों हेतु दोषसिद्ध घोषित किये जाने की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ उतर प्रदेश बनाम कृष्णन 2005 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर सुर्पीम कोर्ट पेज 127 में दंडादेश देते समय उस से संबंधित प्रभाव को व्यक्त करते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक अपराध का उचित दंड आवश्यक है, जिससे समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो। ऐसे में अपीलार्थी/अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 341/34 भा.द.सं.

हेतु एक माह का साधारण कारावास, धारा 323/34 भा.द.सं. हेतु एक वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 325/34 भा.द.सं. में तीन वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/– रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अपीलार्थी एक–एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त का सजा पुष्टि वारन्ट बनाया जावे।

21. निर्णय की एक प्रमाणित प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को उनके अभिलेख के साथ अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाःडीडवाना–कुचामन (राज0)

22. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 18.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)